



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1497 वर्ष 2026

श्रीमती पूर्ति सिंह

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अभिषेक कृष्णा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के अधिवक्ता को दिन के अनुक्रम के दौरान प्रत्यर्थीगण के सूची में अपर आयुक्त (न्यायिक), झांसी मण्डल, झांसी को प्रत्यर्थी सं० 7 के रूप में पक्षकार बनाये जाने की अनुमति दी जाती है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

3. आज पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्राइवेट प्रत्यर्थीगण को नोटिसों को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

4. कुछ बहस के पश्चात याची के अधिवक्ता ने अपना अनुरोध मात्र नये जोड़े गये प्रत्यर्थी अर्थात प्रत्यर्थी सं० 7- अपर आयुक्त (न्यायिक), झांसी मण्डल, झांसी को निर्धारित अवधि में पुनरीक्षण सं० 2044 वर्ष 2025, कम्प्यूटरीकृत मामला सं० सी20250600000204 (श्रीमती पूर्ति सिंह बनाम राम अवतार उर्फ कृष्णा अवतार तथा अन्य) का विनिश्चय करने के निदेश के आशय के संबंध में सीमित किया है।

5. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आक्षेप नहीं है।

6. इस बात के दृष्टिगत तथा न्यायहित में भी, प्रत्यर्थी सं० 7 अर्थात अपर आयुक्त (न्यायिक), झांसी मण्डल झांसी को कोई अनावश्यक स्थगन दिये बिना शीघ्रता से याची द्वारा दाखिल पूर्वोक्त पुनरीक्षण का विनिश्चय करने का निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका को अंततः निपटाया जाता है जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी, 26, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"